संख्या-31/2018/2741/22-2-2017-17(648)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सीमित अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी धीरेन्द्र पुत्र श्री सरजीत सिंह निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम-06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सीमित अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी धीरेन्द्र पुत्र श्री सरजीत सिंह, जो ग्राम-भौवापुर, थाना-इन्दापुरम, जनपद-गाजियाबाद का रहने वाला है। दहेज में कार एवं 11 लाख रूपये की मांग पूरी न होने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.06.2009 को दिन में 02:00 बजे अपनी पत्नी सरस्वती को योजना बनाकर माल से नीचे फेंक दिया, गम्भीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1949/2009 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-14), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2013 द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.09.2016 तक 07 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धीरेन्द्र पुत्र श्री सरजीत सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी धीरेन्द्र (बन्दी संख्या-8946/2013) पुत्र श्री सरजीत सिंह निवासी जनपद-गाजियाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-31/2018/2741(1)/22-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-31/2018/2741/22-2-2017-17(648)/2017

दिनांक 11 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सीमित अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी धीरेन्द्र पुत्र श्री सरजीत सिंह, जो ग्राम-भौवापुर, थाना-इन्दापुरम, जनपद-गाजियाबाद का रहने वाला है। दहेज में कार एवं 11 लाख रूपये की मांग पूरी न होने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.06.2009 को दिन में 02:00 बजे अपनी पत्नी सरस्वती को योजना बनाकर माल से नीचे फेंक दिया, गम्भीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1949/2009 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-14), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2013 द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.09.2016 तक 07 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धीरेन्द्र पुत्र श्री सरजीत सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।